

## तंबाकू उत्पादों की बिक्री के लिए लाइसेंस प्राप्त करने हेतु शपथपत्र

मैं, \_\_\_\_\_ सपुत्र / सपुत्री \_\_\_\_\_ स्थायी पता \_\_\_\_\_ दुकान /  
प्रतिष्ठान का पूरा पता \_\_\_\_\_ यह सत्यापित एवं सत्यनिष्ठा से घोषणा  
करता/करती हूँ कि:-

1. मैंने हिमाचल प्रदेश खुली सिगरेट एवं बीड़ी की बिक्री पर प्रतिबंध तथा सिगरेट एवं अन्य तंबाकू उत्पादों के खुदरा व्यवसाय का विनियमन अधिनियम, 2016 के अंतर्गत तंबाकू विक्रेता लाइसेंस प्राप्त करने हेतु आवेदन किया है।
2. मैं सिगरेट एवं अन्य तंबाकू उत्पाद (विज्ञापन एवं व्यापार का विनियमन) अधिनियम, 2003 (COTPA) तथा उसके अंतर्गत बनाए गए सभी नियमों का पूर्ण पालन करने के लिए बाध्य रहूँगा/रहूँगी।
3. मैं अपनी दुकान में बिना वैध लाइसेंस के कोई भी तंबाकू उत्पाद नहीं बेचूँगा/बेचूँगी।
4. मैं खुली सिगरेट, खुली बीड़ी या खुला तंबाकू उत्पाद की बिक्री नहीं करूँगा/करूँगी।
5. मैं 18 वर्ष से कम आयु के किसी भी व्यक्ति को तंबाकू उत्पादों की बिक्री नहीं करूँगा/करूँगी तथा मेरी दुकान में 18 वर्ष से कम आयु का व्यक्ति किसी भी प्रकार का तंबाकू उत्पाद किसी ग्राहक को नहीं बेच सकता है।
6. मैं अपनी दुकान पर COTPA, 2003 के अंतर्गत मानक साइनबोर्ड "18 वर्ष से कम आयु के व्यक्ति को तंबाकू बेचना दंडनीय अपराध है" को प्रमुख रूप से प्रदर्शित करूँगा/करूँगी।
7. मैं किसी सरकारी / गैर-सरकारी शैक्षणिक संस्थान से 100 गज की परिधि के भीतर तंबाकू उत्पादों की बिक्री नहीं करूँगा/करूँगी।
8. मैं यह सुनिश्चित करूँगा/करूँगी कि मेरी दुकान के अंदर या उसके आस-पास तंबाकू उत्पादों का कोई भी विज्ञापन, प्रचार या प्रदर्शन नहीं किया जाएगा।
9. मैं बिना निर्धारित चित्रात्मक स्वास्थ्य चेतावनी वाले किसी भी तंबाकू उत्पाद की बिक्री नहीं करूँगा/करूँगी।
10. मेरी दुकान एक स्थायी खुदरा प्रतिष्ठान है, जो अधिकृत तंबाकू उत्पादों की बिक्री हेतु है। यहाँ गुटखा, खैनी, तंबाकू मिश्रित पान मसाला, प्रसंस्कृत तंबाकू, ई-सिगरेट आदि जैसे प्रतिबंधित उत्पादों की बिक्री नहीं की जाती है।
11. मैं सदैव सरकार द्वारा समय-समय पर जारी तंबाकू नियंत्रण से संबंधित नियमों एवं विनियमों का पालन करूँगा / करूँगी।
12. मैं अपने प्रतिष्ठान के अंदर एवं आसपास स्वच्छता बनाए रखने तथा तंबाकू कचरे को रोकने का दायित्व निभाऊँगा/करूँगी।
13. मैं अपनी दुकान पर "तंबाकू विक्रेता लाइसेंस" प्रमुख रूप से प्रदर्शित करूँगा/करूँगी।
14. मैं यह प्रमाणित करता/करती हूँ कि मेरे लाइसेंस लेने के लिए आवेदन में दी गई सभी सूचनाएँ मेरी सर्वोत्तम जानकारी एवं विश्वास के अनुसार सत्य एवं सही हैं।
15. मुझे ज्ञात है कि यदि मेरे द्वारा उपर्युक्त अधिनियमों अथवा सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किसी आदेश का उल्लंघन किया गया, तो मेरा लाइसेंस निरस्त किया जा सकता है।

गवाहों का नाम एवं हस्ताक्षर  
(पूर्ण पते सहित)

1 -----

2 -----

आवेदक के हस्ताक्षर: \_\_\_\_\_

नाम: \_\_\_\_\_

दिनांक: \_\_\_\_\_

स्थान: \_\_\_\_\_